तटीय क्षेत्रों में दफन

लेखक-सुजाता बिरवान (वैज्ञानिक), आरती श्रीधर (ट्रस्टी, दैनिक फाउंडेशन)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

द हिन्दू

23 जनवरी, 2019

"2018 की नई सीआरजेड अधिसूचना अब विज्ञान और जलवायु परिवर्तन से प्रत्याशित प्रभावों की अस्वीकृति के रूप में पढ़ी जा रही है।"

दिसंबर के अंत में, सरकार ने मसौदा तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2018 को मंजूरी दे दी थी, जिसे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा परिचालित किया गया था। सीआरजेड में सरकार द्वारा विनियमित तट के साथ निर्दिष्ट क्षेत्र भी शामिल हैं। सरकार ने तटीय समुदायों के लिए 'बेहतर जीवन' के वादे के रूप में नई सीआरजेड-2018 अधिसूचना पेश की, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर साबित होगी। वर्ष के दौरान अनुसंधान थिंक टैंक और तटीय सामुदायिक समूहों के मसौदे की विभिन्न सिफारिशों को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि परामर्श केवल सरकारी निकायों और विभागों तक ही सीमित था।

इतिहास और परिवर्तन

सीआरजेड (CRZ) नियमों को पहली बार 1991 में पेश किया गया था और बाद में इसे 2011 में संशोधित किया गया। 2004 में हिंद महासागर में उठी सुनामी सहित प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए एक तटीय खतरे की रेखा स्थापित की गई थी। जबकि 2011 की अधिसूचना ने माना कि तटीय क्षेत्र उच्च कटाव से ग्रसित है और अतिसंवेदनशील है और विकास को विनियमित करने के लिए देश भर में वैज्ञानिकों द्वारा इस रेखा को सुधारने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे।

देखा जाए तो जुलाई 2018 में, एक संशोधन के द्वारा बिना किसी परामर्श के मुख्य विनियमन से खतरे की रेखा को हटा दिया गया था। इसके अलावा साथ ही, नई 2018 की अधिसूचना में, खतरे की रेखा के सभी संदर्भों को हटा दिया गया है और इसे एक निश्चित बाधा रेखा के साथ बदल बनाती है।

उदाहरण के लिए, तट के साथ कुछ क्षेत्रों में बहुत तेज तूफान आते हैं, लेकिन उन्हें वह सुरक्षा नहीं मिलेगी, जिसके वे हकदार हैं। पूर्व में (2011 संस्करण में), सीआरजेड न्यूनतम 500 मीटर तक और 500 मीटर की रेखा से अधिक होने पर इसे खतरे की रेखा के क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया था। पूरी तरह से खतरे की रेखा को हटाकर, नई अधिसूचना उच्च ज्वार रेखा से 500 मीटर की एक समान सीआरजेड बनाए रखती है।

पारिस्थितिक रूप से अतिसंवेदनशील क्षेत्रों (CRZ-I) और जल क्षेत्रों (CRZ-IV) को छोड़कर, जिसके लिए किसी भी विकास मंजूरी के लिए MoEFCC के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, राज्य सरकारें शहरी और ग्रामीण तटीय क्षेत्रों (CRZ-II और III) को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होंगी।

भूमि से सटे सँकरी खाड़ी और अप्रवाही जल के लिए सीआरजेड को 100 से घटाकर 50 मीटर कर दिया गया है। सीआरजेड -2018 शहरी सीआरजेड क्षेत्रों और घनी आबादी वाले ग्रामीण तटीय क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण प्रतिबंधों और परमिट निर्माण को छूट देता है। अधिक आबादी वाले क्षेत्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक भत्ते के साथ द्विभाजित किया गया है। होटल, रिसॉर्ट और पर्यटन क्षेत्र में सबसे बड़ी संख्या में छूट दी गयी है।

व्यापार को बढ़ावा

वर्तमान में बड़े होटल, रेस्तरां, घर, तटीय राजमार्ग तथा छोटे और बड़े बंदरगाह सुविधाएं अब तटरेखा के करीब बनाई जा सकती हैं। तटीय पर्यटन के बढ़ने से लैगून, दलदली भूमि और अन्य तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों का विनाश हो जायेगा। वास्तव में, 2009 से तमिलनाडु के तटीय जिलों के एक सीमित अध्ययन में पाया गया है कि औसत समुद्र के स्तर में एक मीटर की वृद्धि से लाखों करोड़ों के सार्वजनिक निवेश, पारिस्थितिकी तंत्र और भूमि को खतरा है।

चक्रवात ओखी और वरदा अभी भी लोगों की यादों में हैं और इसलिए हमें पता है कि इससे जान-माल और संपत्ति का नुकसान कितना होगा। हालांकि, बार-बार घटित होने वाली मौसम संबंधी इन समस्याओं पर सीआरजेड-2018 में ध्यान नहीं दिया गया हैं, जो आपदा प्रबंधन से संबंधित चुनौती को और अधिक बढ़ा देता है। दस्तावेज पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील CRZ-I क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची को कम करते हुए आधार रेखा को समाप्त करता है।

इनमें इस तटीय क्षेत्र (जहां यह शुरू होता है और समाप्त होता है, उच्च पानी के निशान के आधार पर) का मूल आधार शामिल है, जो उल्लंघन का कारण बनता है। इस बीच, माफियाओं द्वारा नियंत्रित रेत खनन और तट के किनारे समुद्र को रोकने के लिए बनाई जा रही दीवार के कारण तटरेखा पहले से ही खत्म हो रही है।

हमारे लिए संकट

काटोवाइस (COP 24) में हुई हालिया अंतर्राष्ट्रीय जलवायु बैठक में, जब अमेरिका, सऊदी अरब और रूस ने जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) से विशेष 1.5 डिग्री रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, तब भारत और अन्य विकासशील देशों ने विरोध किया और कहा कि ये देश दुनिया को जोखिम में डाल रहे हैं। इस रिपोर्ट में दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन से होने वाले गंभीर प्रभावों की तैयारी करने का आह्वान किया गया था। बढ़ते समुद्रों के प्रभाव पहले से ही दिखाई दे रहे हैं और तापमान बढ़ने के साथ ये और खराब होते जाएंगे।

देशों को गंभीर तूफानों और इसकी तीव्रता में वृद्धि और तटों पर इसके होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करने की आवश्यकता है। नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित, 2018 के अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया के सभी देशों के बीच, भारत जलवायु परिवर्तन से सबसे खराब सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का अनुभव करेगा।

हालाँकि, कैबिनेट से सीआरजेड अधिसूचना, अब IPCC के विज्ञान की अस्वीकृति और जलवायु परिवर्तन से प्रत्याशित प्रभावों सहित 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट के रूप में है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस सीआरजेड अधिसूचना में किसके हितों की बात सुनी जा रही है।

एमओईएफसीसी की यह गतिविधि कानून में सुधार या उसे लागू करने से संबंधित नहीं, बल्कि नियामक निगरानी को कम करने से अधिक संबंधित प्रतीत होती है। अब अपने इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत अपने तट और उस पर रहने वाले लाखों लोगों को धीरे-धीरे आपदा की ओर ले जा रहा है।

GS World टीम...

तटीय नियमन जोन (CRZ) अधिसूचना, 2018

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तटीय क्षेत्रों में आर्थिक एवं विकास गतिविधियों को पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप नियंत्रित करने हेतु तटीय नियमन जोन (Coastal Regulation Zone-CRZ) अधिसूचना, 2018 को मंजूरी दे दी है।
- ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अधिसूचना (Notification) की पिछली समीक्षा वर्ष 2011 में की गई थी और फिर उसी वर्ष इसे जारी भी किया गया था।

पृष्ठभूमि

- तटीय क्षेत्रों के संरक्षण एवं सुरक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 1991 में तटीय नियमन जोन अधिसूचना जारी की थी, जिसे वर्ष 2011 में संशोधित किया गया था।
- समय-समय पर तटीय नियमन जोन (Coastal Regulation Zone-CRZ) अधिसूचना के अनुच्छेदों में संशोधन किये जाते रहे हैं।
- 2011 के प्रावधानों, विशेष रूप से समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकी के प्रबंधन एवं संरक्षण, तटीय क्षेत्रों के विकास, पारिस्थितिकी पर्यटन, तटीय समुदायों की आजीविका से जुड़े विकल्प एवं सतत् विकास इत्यादि से संबंधित प्रावधानों की व्यापक समीक्षा के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्राप्त हुए अनेक ज्ञापनों पर विचार करते हुए CRZ अधिसूचना, 2018 जैसे कदम को उठाया गया है।

क्या है?

- CRZ को 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986' के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय (जिसका नाम अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है) द्वारा फरवरी-1991 में अधिसूचित किया गया था।
- इसका मुख्य उद्देश्य देश के संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में गतिविधियों को नियमित करना है।
- तटीय क्षेत्र का हाई टाइड लाइन (HTL) से 500 मीटर तक का क्षेत्र तथा साथ ही खाड़ी, एस्चूरिज, बैकवॉटर और नदियों के किनारों को CRZ क्षेत्र माना गया है, लेकिन इसमें महासागर को शामिल नहीं किया गया है।
- इसके अंतर्गत तटीय क्षेत्रों को निम्नलिखित चार भागों में बाँटा गया है-

1. CRZ - 1

- यह कम और उच्च ज्वार लाइन के बीच का पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, जो तट के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है।

2. CRZ - 2

- यह क्षेत्र तट के किनारे तक फैला हुआ होता है।

3. CRZ - 3

- इसके अंतर्गत CRZ-1 और 2 के बाहरी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में कृषि से संबंधित कुछ खास गतिविधियों को करने की अनुमति दी गई है।

4. CRZ - 4

- यह जलीय क्षेत्र में क्षेत्रीय सीमा (territorial limits) तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों की अनुमति है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डॉ. शैलेश नायक (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव) की अध्यक्षता में जून, 2014 में एक समिति गठित की थी, जिसे CRZ अधिसूचना, 2011 में उपयुक्त बदलावों की सिफारिश करने के लिये तटीय राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य

हितधारकों की चिंताओं के साथ-साथ विभिन्नय मुद्दों पर भी गौर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

लाभ

- प्रस्तावित CRZ अधिसूचना, 2018 से तटीय क्षेत्रों में गतिविधियाँ काफी बढ़ जाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की रफ्तार भी तेज हो जाएगी।
- इसके साथ ही तटीय क्षेत्रों के संरक्षण संबंधी सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इससे न केवल बड़ी संख्या में रोजगारों का सृजन होगा, बल्कि बेहतर जीवन के साथ-साथ भारत की अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्द्धन भी सुनिश्चित होगा। नई अधिसूचना से तटीय क्षेत्रों की अतिसंवेदनशीलता में कमी आने के साथ-साथ उनका जीर्णोद्धार भी होने की आशा है।

प्रमुख विशेषताएँ

- CRZ क्षेत्रों में वर्तमान मानकों के अनुसार, फ्लोर स्पेस इंडेक्स (Floor space index-FSI) अथवा फर्श क्षेत्र अनुपात (Floor area ratio-FAR) को अनुमति प्राप्त होगी। घनी आबादी वाले क्षेत्रों के विकास के लिये ज्यादा अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- बुनियादी सुविधाओं के लिये पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा दिया जाएगा। CRZ मंजूरी की प्रक्रिया सुव्यवस्थित की गई है। सभी द्वीपों के लिये 20 मीटर का 'कोई विकास नहीं' जोन (No Development Zone-NDZ)' निर्दिष्ट किया गया है।
- पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील माने जाने वाले सभी क्षेत्रों को विशेष अहमियत दी गई है। प्रदूषण में कमी करने पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। रक्षा एवं रणनीतिक परियोजनाओं को आवश्यक छूट दी गई है। घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिये दो नई श्रेणियाँ, CRZ-3A और CRZ-3B निर्धारित की गई हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. तटीय नियमन जोन को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1991 में अधिसूचित किया गया था।
2. इसका मुख्य उद्देश्य देश के संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में गतिविधियों को नियमित करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements -

1. Coastal Regulation zone was notified in 1991 by the Ministry of Environment and Forest under Environment Protection Act, 1986.
2. Its main objective is to regulate the activities in the sensitive coastal regions of the country.

Which of the above statements is/are incorrect?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र:- "तटीय नियमन जोन अधिसूचना, 2018 किस तरह पर्यावरणीय विकास, पारिस्थितिकी, पर्यटन, तटीय समुदाय तथा सतत् विकास को प्रभावी बनाने में कारगर होगी? समीक्षा कीजिए। (250 शब्द)

Q. How Coastal Regulation zone notification, 2018 will be effective in environmental development, ecosystem, tourism, coastal community and sustainable development? Review. (250 Words)

नोट : 22 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।